

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

B3

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़
दुर्गा कुमारी बनाम शर्मा
 किस्म मुकद्दमा प्राथमिक वज नं. 379 सन् 2022
 (2022/580)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13 ⁶ / ₂₃	<p>प्राथमिक अग्रपत्तिका/ विक्रीपत्र भी अग्रपत्तिका/ प्राथमिक ने ग्राम पुरोहितों का सांवत तहसील चित्तौड़गढ़ जिले आराजी संख्या 119 रकबा 0.71, 120 रकबा 1.62, 111 रकबा 0.53, 118 रकबा 0.26, 118/1 रकबा 0.66 हे. की पलवारगी कराये जाने हेतु आवेदन किया है उक्त कारवाहीगत प्राथमिक के श्रेयदारों की उक्त प्राथमिक का प्राथमिक पत्र स्वीकार किया जाया ग्राम पुरोहितों का सांवत तहसील चित्तौड़गढ़ जिले आराजी संख्या 119 रकबा 0.71, 120 रकबा 1.62, 111 रकबा 0.53, 118 रकबा 0.26, 118/1 रकबा 0.66 हे. की बिना किसी के कब्जे में दखलजागी किए सेटलमेंट नम्बरे अग्रपत्तिका पलवारगी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं शुल्क 2000/- अक्षर दो हजार रुपए प्राथमिक वहन करेगा पालकाय तहसील 507 चित्तौड़गढ़ को लिखा जाया पालकाय रिपोर्ट प्राप्त हो पत्र प्रकीर्ण कौलक शुभ्रा होकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">Eup</p> <p style="text-align: center;">(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>	